



India

EV8742137851N IPI:6986874213785

SP HALDHWATI HD 22631397

Counter No:1, 18/10/2021, 11:35

To: JPHH BAN BANSHAF AK, ..

PIN: 248001, Behradun PO

FROM: PSHH BIHI, HD

Reasons

Art: 26.30 (Cash) PS: 15.00 Tax: 6.30

Charg: 07 (Hh) Inl: 30 Post: 107



कार्यालय वन संरक्षक, पश्चिमी वृत्त, उत्तराखण्ड,  
हल्द्वानी (नैनीताल)



अरण्य भवन, रामपुर रोड, हल्द्वानी (नैनीताल) दूरभाष/फैक्स : 05940-220003 ई.मेल : cfwktm-forest-uk@nic.in.

पत्रांक- 593 / 12-1 हल्द्वानी, दिनांक, अक्टूबर, 14, 2021.  
सोया में,

अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी,  
वन संरक्षण, इन्दिरा नगर फौरेस्ट कालोनी,  
उत्तराखण्ड, देहरादून।

विषय:- जनपद नैनीताल में स्थापित राजकीय मेडिकल कॉलेज, हल्द्वानी के नियन्त्रणाधीन स्वामी राम कैंसर चिकित्सालय एवं अनुसंधान संस्थान हल्द्वानी का विस्तारीकरण करते हुए "राज्य कैंसर संस्थान" तथा संक्रमण रोग चिकित्सालय की स्थापना किये जाने हेतु 4.25 है० वन भूमि के हस्तान्तरण के सम्बन्ध में।

संदर्भ:- भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय देहरादून के पत्र सं० 8वी०/यू०सी०पी०/०९/५४/एफ०सी०/६३७ दिनांक ३१.०८.२०२१

महोदय,

उपरोक्त विषयक प्रकरण में भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, देहरादून द्वारा संदर्भित पत्र के माध्यम से आपत्ति लगाई गयी है, प्रभागीय वनाधिकारी, तराई केन्द्रीय वन प्रभाग, रुद्रपुर द्वारा आपत्ति का निराकरण कर अपनी पत्र संख्या 993शि०/१२-१ दिनांक ०८.१०.२०२१ (छाया प्रति संलग्न) के माध्यम से आख्या इस कार्यालय में प्रेषित की गई, जो कि निम्न प्रकार है:-

क्र० सं०	आपत्ति	निराकरण
1	विषयांकित Medical College से सम्बन्धित पूर्व में Regional Empowered Committee की बैठक दिनांक 12.08.2019 में चर्चा कर तीन पृथक-2 प्रस्तावों का अनुमोदन किया गया था। राज्य सरकार से अनुरोध है कि उन प्रस्तावों की compliance report/वस्तुस्थिति की जानकारी प्रस्तुत करें।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा अवगत कराया गया है कि राजकीय मेडिकल कॉलेज हल्द्वानी द्वारा पूर्व में रीजनल इम्पावर्ड कमेटी की बैठक दिनांक 12.08.2019 में चर्चा कर तीन पृथक-पृथक प्रस्तावों का अनुमोदन किया गया था। उक्त तीनों प्रस्तावों पर प्राप्त सैद्धान्तिक स्वीकृति में विहित समस्त शर्तों का अनुपालन करते हुए कार्यवाही पूर्ण कर ली गयी है। मात्र क्षतिपूरक वनीकरण की दरों में वृद्धि होने के कारण इसके सापेक्ष प्राप्त पुनरीक्षित डिमाण्ड नोट की धनराशि रु० 55,27,923/- की वित्तीय स्वीकृति शासन से प्राप्त होते ही धनराशि वन विभाग के पक्ष में जमा कर दी जायेगी।
2	राज्य सरकार यह स्पष्ट करें कि यदि यह नया प्रस्ताव है तो इसे "Upgradation of existing Swami Ram Cancer Hospital" के रूप में क्यों प्रस्तुत किया गया है क्योंकि प्रस्तावित भूमि पर कोई Hospital विद्यमान नहीं है।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा अवगत कराया गया है कि भारत सरकार द्वारा राज्य कैंसर संस्थान की स्थापना के लिए पूर्व निर्मित स्वामी राम कैंसर चिकित्सालय का निरीक्षण किया गया था, जिसका विस्तारीकरण करते हुए राज्य कैंसर संस्थान का निर्माण करने की स्वीकृति भारत सरकार द्वारा राजकीय मेडिकल कॉलेज हल्द्वानी को प्रदान की गयी है। साथ ही यह भी अवगत कराया है कि प्रस्तावित 4.25 है० भूमि से लगी हुई भूमि पर स्वामी राम कैंसर चिकित्सालय पूर्व से ही विद्यमान है, अतः इसे "Upgradation of existing Swami Ram Cancer Hospital" के रूप में प्रस्तुत किया गया है।

क्र० सं०	आपत्ति	निराकरण
3	प्रस्ताव में 2.5 है० क्षेत्र में "Radiotherapy Bunker" प्रस्तावित किया गया है जिससे यह प्रतीत होता है कि यह भूमिगत संरचना होगी। अतः राज्य सरकार यह स्पष्ट करें कि इसके लिये वृक्षों के पातन की आवश्यकता क्यों है।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा अवगत कराया गया है कि यह भूमिगत संरचना नहीं है। अतः इसके निर्माण के समय कम से कम वृक्षों का पातन किये जाने के प्रयास किये जायेंगे।
4	प्रस्तुत "Layout" स्पष्ट नहीं है साथ ही "Future Construction" हेतु प्रत्यावर्तन मान्य नहीं किया जायेगा। राज्य सरकार से अनुरोध है कि यह इस सम्बन्ध में अपना स्पष्ट प्रतिवेदन इस कार्यालय में प्रेषित करना सुनिश्चित करें। इसके अतिरिक्त ई०डी०एस० दिनांक 26.02.2021 के विन्दु सं० 10 के अनुसार दोनो "patches" के लिये पृथक-2 "components wise breakup" एवं "Layout" पर उनकी स्थिति स्पष्ट करें।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा अवगत कराया गया है कि उक्त ले-आऊट में कोविड-19 जैसी वैश्विक महामारी के दृष्टिगत राज्य सरकार के निर्देशों के क्रम में 210 शैय्याओं के "संक्रमण रोग चिकित्सालय" का निर्माण अतिआवश्यक रूप में किया जाना प्रस्तावित है, इस हेतु आगणन शासन के अनुमोदनार्थ प्रेषित किया गया है। हस्तान्तरण की स्वीकृति प्राप्त होते ही जनहित में प्रस्तावित "संक्रमण रोग चिकित्सालय" का निर्माण उक्त 4.25 है० वन भूमि के मात्र 0.35 है० भू-भाग पर ही किया जायेगा। अतः इसे "Future Construction" में दर्शाया गया है। स्पष्ट ले-आऊट प्रभागीय वनाधिकारी के पत्र के साथ संलग्नक-01 के रूप में संलग्नित है। उक्त के अतिरिक्त ई०डी०एस० दिनांक 26.02.2021 के विन्दु संख्या-10 के अनुसार प्रस्तावित दोनों पैच के लिए पृथक-पृथक कम्पौनेंट वाईज ब्रेकअप प्रभागीय वनाधिकारी के पत्र के साथ संलग्नक-02 व 03 के रूप में संलग्नित है, तथा उनकी स्थिति संलग्न ले-आऊट में पीले व लाल रंग से प्रदर्शित की गयी है।
5	पातन होने वाले वृक्षों की संख्या 347 है, जिसे न्यून करने हेतु कोई प्रयास नहीं किया गया है।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा अवगत कराया गया है कि प्रस्तावित परियोजना के अन्तर्गत पार्किंग स्थल एवं सड़क का निर्माण भी किया जायेगा, अपितु भवनों के निर्माण कार्यों में अपरिहार्य रूप से काटे जाने वाले न्यूनतम वृक्षों के पातन की स्वीकृति तत्समय वन विभाग से प्राप्त की जायेगी।

अतः प्रभागीय वनाधिकारी की आख्या मय संलग्नकों के सादर सेवा में अग्रेत्तर कार्यवाही हेतु प्रेषित।  
संलग्न- उपरोक्तानुसार।

भववीय,

(राहुल)

वन संरक्षक

पश्चिमी वृत्त, उत्तराखण्ड, हल्द्वानी।

पत्रांक 593 / उक्तदिनांकित।

प्रतिलिपि- प्रभागीय वनाधिकारी, तराई केन्द्रीय वन प्रभाग, रुद्रपुर को उनके पत्रांक-993शि०/12-1 दिनांक 08.10.2021 के क्रम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

QC

(राहुल)

वन संरक्षक

पश्चिमी वृत्त, उत्तराखण्ड, हल्द्वानी।